न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : बी0 एल0 कोठारी, आई.ए.एस

आर्म्स अपील संख्या 03/2019

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
सुमेरलाल शर्मा पुत्र रामलाल शर्मा, निवासी– ग्राम सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, बाडमेर।		कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 18 आर्म्स अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 20.06.2019 द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट बाडमेर ने अपीलाण्ट के पिस्टल/ रिवॉल्वर का अपीलाण्ट के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के आवेदन को निरस्त कर दिया।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।

2.श्री ओमप्रकाश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 16 अक्टूबर, 2019

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट बाडमेर ने अपीलाण्ट के पिस्टल/ रिवॉल्वर हेतु अपीलाण्ट के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के आवेदन को दिनांक 28.06.2019 को निरस्त कर दिया। जिसकी प्रमाणित प्रति अपीलान्ट के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.07.2019 को प्राप्त की। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह अपील दिनांक 7.8.2019 को अन्तर्गत आर्म्स अधिनियम 1959 की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई। जो दर्ज रजिस्टर की गई।

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

हमने उपस्थित अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्ट ने यह निवेदन किया कि अपीलान्ट ने एक आवेदन श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेट बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे एक नया शस्त्र

आत्मरक्षार्थ हेतु रखने की आवश्यकता है इसलिये उसे रिवाल्वर/ पिस्टल क्रय करने का अनुज्ञापत्र जारी करावे।

अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट बाडमेर जिले का निवासी है तथा वह एक आरटीआई कार्यकर्ता एवं व्हिस्सलब्लोअर भी है। जिस कारण से उसे जनहित, समाजहित एवं राष्ट्रहित में सूचनाएं प्राप्त करने एवं भ्रष्टाचार उजागर कर मामलों की गम्भीरता के अनुसार कानूनी कार्यवाही सम्पादित करवाता है। अपीलार्थी अवैध खनन करने वालों के विरूद्ध भी राज्य सरकार को सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। साथ ही उसने मेवानगर एवं सिणली जागीर के पूर्व सरपंचों के विरूद्ध भी मामले दर्ज करवाये है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाये जाने के कारण उसे जान का खतरा सदैव बना रहता है। दिनांक 16.4.2015 को रात्रि में जानलेवा हमला भी हुआ जिसकी एफआईआर संख्या 197/2015 पुलिसथाना, बालोतरा में दर्ज करवाई। दिनांक 5.6.2017 को भी अपीलान्ट की हत्या करने का प्रयास किया गया जिस पर उसने पुलिसथाना बालोतरा में एफआईआर संख्या 267/2017 दर्ज करवाई गई जिसमें मुलजिमों को गिरफ्तार किया। एवं न्यायालय में चालान पेश हुआ। इसी प्रकार दिनांक 23.7.17 को भी हमला हुआ जिसमें अपीलान्ट बुरी तरह से घायल हुआ तब एफआईआर संख्या 343/2017 दर्ज करवाई गई। इस कारण स्वयं की सुरक्षा हेतु उसे पिस्टल/रिवॉल्वर की आवश्यकता थी।

अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के इन जनहित के कार्यो से कई असामाजिक तत्वों द्वारा अपीलान्ट को एवं उसके परिवार को धमकिया दे रहे है और अपीलान्ट पर कई बार हमले हुए जिनमें अपीलान्ट बचता रहा है। अपीलान्ट के द्वारा सरकार, पुलिस व प्रशासन से अपनी सुरक्षा हेतु गई बार सुरक्षा की मांग की जिस पर प्रशासन के द्वारा अपीलान्ट से सुरक्षा शुल्क की मांग कर रही है। पुलिस को अपनी सुरक्षा हेतु कई बार पूर्व में सूचना दी गई परन्तु वह अपीलान्ट की सुरक्षा करने में असफल रही है। तब अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 19.1.2018 को एक आवेदन आत्मरक्षार्थ हेतु शस्त्र रिवाल्वर/पिस्टल लेने हेतु उसका अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु कलेक्टर जिला मजिस्टेट महोदय बाडमेर के कार्यालय में पेश किया जिस पर जिला कार्यालय द्वारा पुलिस अधिक्षक, बाडमेर, उप वन संरक्षक, बाडमेर, सीआईडी राज0 जयपुर से जॉच करवाई व रिपोर्ट चाही गई उसमें किसी भी कार्यालय द्वारा अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की एवं सभी ने अनुशंषा भी की। पुलिस विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अपीलार्थी को निकट भविष्य में जान का खतरा ह। उसके उपरान्त भी श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा अपने अपीलाधीन

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

आदेश दिनांक 20.06.2019 द्वारा प्रार्थी का आवेदन यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि अपीलार्थी पर दो मुकदमें दर्ज है, जबकि अपीलान्ट पर दोनों मुकदमें पूर्णतया पुलिस की मिलीभगत से व अपीलान्ट को फंसाने की नियत से दर्ज किये गये थे जबकि अपीलान्ट को किसी भी मामले में न्यायालय ने दोषी नहीं ठहराया है।

अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर के द्वारा बिना रिकार्ड देखे एवं गौर किये पारित किया है एवं मनमाने तरीके से विधि के सुस्थापित प्रावधानों के विपरित जाकर पारित किया गया है। अपीलान्ट को अपने स्वयं की सुरक्षा करने का अधिकार है। अपीलान्ट को कभी भी शांती भंग करने हेतु पुलिस विभाग द्वारा पाबन्द नहीं किया गया है। ऐसे में जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन में कोई स्पीकिंग आदेश भी पारित नही किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो को अवहेलना है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाय जावे।

प्रत्युतर में राजकीय अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर के द्वारा विभागीय परिपत्रों एवं आर्म्स अधिनियम के तहत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसरण ही अपीलान्ट के द्वारा पिस्टल/ रिवॉल्वर क्रय करने हेतु प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित किये गये कारणों को शस्त्र क्रय करने हेतु उचित नहीं होना मानते हुए अपीलान्ट के आवेदन को निरस्त करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुकूल उचित होने से यथावत बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील को निरस्त किया जावें।

हमने पक्षकारान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं अपील में वर्णित तथ्यों तथा जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा प्रेषित की गई विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अपीलान्ट के द्वारा अपनी आत्म रक्षार्थ हेतु तथ्य अंकित किये है इसके अतिरिक्त प्रकरण में जिला कार्यालय में संस्थित की गई पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी में अपीलान्ट के द्वारा आत्म रक्षार्थ के लिये एवं आरटीआई कार्यकर्ता एवं व्हिस्सलब्लोअर होने से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के तथ्य अंकित किये गये है। अपीलान्ट के आवेदन के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, बाडमेर ने अपने पत्रांक 4332 दिनांक 05.4.2018 में भी यदि आवेदक को नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र नियमानुसार जारी किया जाना उचित बताया है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

विद्वान जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर ने अपीलान्ट के द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश के जरिये कोई स्पीकिंग आदेश भी पारित नहीं किया गया है एवं प्रस्तुत आवेदन में अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किये जाने हेतु विशेष कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार हम यह समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं होने से निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के आवेदन में अपीलान्ट की जान–माल की सुरक्षा हेतु उल्लेखित वर्णित तथ्यों को देखते हुए तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त नियमानुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु नये सिरे से आदेश पारित करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2019 को निरस्त कर प्रकरण पुनः जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु पेश आवेदन में वर्णित तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त नये सिरे से एक माह में स्पीकिंग निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

प्रमाणित कोपी प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

(बी0 एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर